ग्राम पंचायत देवरीघाट, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 **प्रस्तावना** **(क)** 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत देवरीघाट, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री हेत राम हेटा	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री सुरेश वर्मा	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री जगदीश कुमार वर्मा	01.04.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत देवरीघाट के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्त शेष मे अंतर पाया जाना	0.43
2	6	ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में आय को लेखांकित नहीं किए जाने के परिमाणस्वरूप दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे	0.28
3	7	प्राप्त आय को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर व्यय करना	0.31

4	10	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.24
5	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो का उपयोग न किया जाना	27.27
6	12	Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरित ऋण की राशि को निर्धारित अवधि के भीतर को वापिस प्राप्त न करना	1.50
7	13	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	4.06
8	14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	2.58
9	15	अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही भुगतान करना	3.71
10	16	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	2.36

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत देवरीघाट , विकास खण्ड ठियोग , जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा , अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **16.08.2016 से 19.08.2016** के दौरान ग्राम पंचायत देवरीघाट में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	08/2013	04/2013
2014-15	12/2014	07/2014
2015-16	02/2016	03/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत देवरीघाट, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203/2016 दिनांक 19.08.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, देवरीघाट से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव,ग्राम पंचायत देवरीघाट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत देवरीघाट की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 केनियम 15(1) के अनुसार मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत देवरीघाट द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण से दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹42507 का अन्तर था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 201-202/2016 दिनांक 18.08.2016 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। इस बारे में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अंतर है जिसका बैंक समाधान विवरणी तैयार करके समाधान किया जाएगा। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के

निम्न विवर्णानुसार पाए गए अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को अंतिम शेष (Note :- **दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances को भी सम्मलित किया गया है।**)	**2585961.00**
Detail of Bank Balances	
Cash in Hand	**10764.00**
Account No0007 of HPSC Bank	**2515252.00**
Account No. 12692 of HPSC Bank	**17438.00**
Total	**2543454.00**
Difference	**42507.00**

6 ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में ₹0.28 लाख की आय को लेखांकित न किए जाने तथा बैंक में जमा न करवाए जाने के परिमाणस्वरूप दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे

अंकेक्षण में आय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि रसीदों जिनका विवरण निम्न दिया गया है, के द्वारा पंचायत वासियों से विभिन्न कार्यों दिवसों को विभिन्न प्रकार की आय एकत्रित की गई थी , परंतु इन रसीदों से प्राप्त आय को दिनांक 19.08.2016 तक न तो रोकड़ बही में लेखांकित किया गया और न ही ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भी जमा करवाया गया था। परिणामस्वरूप बिना किसी उचित कारण के दिनांक 19.08.2016 तक **₹27919** की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस राशि को अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति दर्ज करने के उपरांत दिनांक 19.08.2016 को ग्राम पंचायत के बैंक खाते में सचिव ,ग्राम पंचायत द्वारा जमा करवाया गया। राशि बैंक में जमा करवाये जाने का विवरण **"परिशिष्ट-2"** पर संलग्न किया गया है। अत: **₹27919** को दिनांक 19.08.2016 तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किए जाने और संबन्धित बैंक खाते में जमा न करवाए जाने बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए , साथ ही दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

Date	Receipt No. under which Income has been collected.	Amount
5/2013	82501to 82528	4200.00
5/2013	82601 to 82700	15500.00
5/2013	82701 to 82753	7285.00
5/2013	82936 to 82954	934.00
Total		**27919.00**

7 प्राप्त आय की ₹0.31 लाख को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर व्यय करना

नियमानुसार सर्वप्रथम प्राप्त आय को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाना और उसके उपरांत विभिन्न व्ययों हेतु बैंक खाते से राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में आय

की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य दिवसों को ₹**30721** की आय विभिन्न आय शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त की गई थी , इस प्राप्त राशि में से पंचायत द्वारा ₹**30721** को पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर विभिन्न व्ययों का भुगतान करने हेतु प्रयोग किया गया था। ऐसे सभी व्ययों का विवरण निम्न निम्न प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार आय को सीधे तौर पर व्यय करना अपने आप में एक वित्तीय अनियमितता है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही भविष्य में प्राप्त आय को सर्वप्रथम पंचायत के बैंक खाते में जमा करने के उपरांत ही भुगतान हेतु प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Type of Receipt	**Date**	**Amount**	**Type of Expenditure**	**Cash Book P.No.**	**Date**	**Amount of Expenditure**
विभिन्न प्राप्तियाँ	30.01.2014	16860	जलपान पर व्यय	131	30.01.2014	16860
	31.03.2014	640	जलपान पर व्यय	134	31.03.2014	640
	31.03.2015	13221	जलपान पर व्यय	150	31.03.2015	13221
Total		**30721**				**30721**

8 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट -3"** में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹0.24 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-4"** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक

राजस्व ₹0.24 लाख वसूली हेतु शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान की ₹27.27 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹2727437 उपयोग हेतु शेष थे। इस राशि में से ₹12258 MG NREGA और ₹129218 Integrated Water Shed Development Project से संबन्धित थी, जबकि शेष ₹2585961 स्व: स्रोत्रों और अन्य अनुदानों से संबन्धित थी। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12 Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर लाभार्थियों को वितरित की गई ऋण की ₹1.50 लाख को प्राप्त न करना

Integrated Water Shed Development Project के नियमों के अनुसार परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी ग्रुप को ₹25000 प्रति ग्रुप की दर से जीवनज्ञापन हेतु प्रदान की गई थी। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल 6 लाभार्थी समूहों को ऋण की राशि प्रदान की गई थी। इस परियोजना के निर्देशों के अनुसार लाभार्थी ग्रुप द्वारा ऋण की राशि को ऋण देने की तिथि से 15 महीने के अन्दर ग्राम पंचायत में वापिस जमा करवाई जानी थी। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि न तो किसी लाभार्थी ग्रुप द्वारा ऋण की राशि को वर्तमान समय तक वापिस नहीं किया गया और न ही इस संदर्भ में ऋण वापसी हेतु कोई पत्राचार सचिव ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी ग्रुप के साथ किया गया था। इस प्रकार परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभ भोगी/लाभार्थी समूहों से ऋण की कुल ₹150000 वर्तमान समय तक वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। अत: परियोजना नियमों की अनदेखी करके ऋण की राशि की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी/लाभार्थी समूहों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Voucher No/Dt.	Cash Book P. No.	Amount	To whom Paid
Nil/ 24.04.2013	15	25000	Khata Jai Devtaa Jadrai
Nil/11.05.2015	25	25000	NariShakati S.H.G. Shakrout
Nil/11.05.2015	25	25000	Dhan Lakshmi S.H.G Janag
Nil/11.05.2015	25	25000	Nari Shakti SHG Chichi
Nil/11.05.2015	25	25000	Jai Maa Kaskha Jaata Gaon
Nil/18.05.2015	27	25000	Jai Kamaksha Nagal Devi
Total		**150000**	

13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹4.06 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-5"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹**405640** का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.58 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-6"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**257500** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.71 लाख का भुगतान करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि ₹**371250** का भुगतान जिनका विवरण **"परिशिष्ट-7"** में दिया गया है , को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था , और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी , जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 क्रय किए गए ₹2.36 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई **₹235900** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-8"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 चौकीदार , सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए ₹0.71 लाख के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे

अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान चौकीदार , सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए **₹71242** के भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था, जिसका विवरण **"परिशिष्ट- 9"** पर दिया गया है, परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नही बनाया गया था , जिसके कारण इ न सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 मानदेय के रूप में ₹1200 का अधिक भुगतान

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जाना अपेक्षित है, परंतु यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (MinutesMinutes RegisterRegister) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय ₹1200 का अधिक भुगतान किया गया था। अत: सभा में बिना उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए , अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Date of Payment	Cash Book Page No.	Date of Meeting for which the payment of Honorarium has been paid	Payment made to total members	No. of Members present as per Minutes Book	Rate of Honorarium per meeting per member	Excess Payment
28.03.2016	4	18.01.2016	6	3	200/-	600 (3X200)
Jul-14	138	08.05.2014	7	6	200/-	200 (1X200)
Jul-14	138	24.05.2014	7	6	200/-	200 (1X200)
Jul-14	138	09.06.2014	7	6	200/-	200 (1X200)
Total						**1200/-**

19 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

20 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व: स्रोत्र से प्राप्त आय तथा अनुदानों से संबन्धित आय की राशि को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B होगे। पंचायत फ़ंड -A में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड -B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा साथ ही प्राप्त स्व: स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	**इस रोकड़बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MG NREGA) का लेखांकन किया गयाथा।**
CashBook for MG NREGA	**इस रोकड़बही में MG NREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।**
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	**इस रोकड़बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।**

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत देवरीघाट द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़

बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत देवरीघाट द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत:93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ङ) अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही शीघ्र-अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत देवरीघाट द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

23 निष्कर्ष:- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 22/2016–खण्ड–1–095–098 दिनाँकः 09.01.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत देवरीघाट, विकास खण्ड ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.